

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :- 184 / 2025

GCMS NO- 2025/363

उपनाम - 1. सुनिता कंवर पुत्री समुद्र सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह।

2. बबीता कंवर पुत्री समुद्र सिंह पत्नी जितेन्द्र

जाति राजपुत निवासी हाल आबाद पोख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी

अधिवक्ता प्रार्थी - श्री रामनरेशसिंह

आदेश

निर्णय दिनांक 04/11/25

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड (बबीता कंवर), पहचान पत्र (बबीता कंवर), आधार कार्ड (सुनिता कंवर), आयकर विभाग का पैन कार्ड (सुनिता कंवर), पहचान पत्र (सुनिता कंवर), बैंक पास (सुनिता कंवर), राशन कार्ड (सुनिता कंवर), राशन कार्ड (बबीता कंवर) तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भू.अ./25/2026 दिनांक 07.08.2025 के द्वारा स्पष्ट अभिशंका के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्री मालाराम नगर पटवार मण्डल रामकुवासरपुरा की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 22 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते ह। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	श्री मालाराम नगर	खाता संख्या 22 के किता 27 कुल रकबा 5.89 है.	सुनिता पुत्री समुद्र सिंह बबली पुत्री समुद्र सिंह	सुनिता कंवर पुत्री समुद्र सिंह बबीता कंवर पुत्री समुद्र सिंह

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

दिनांक :- 04/11/25

क्रमांक :- राजस्व/2015/344

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. सुनिता कंवर पुत्री समुद्र सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह, बबीता कंवर पुत्री समुद्र सिंह पत्नी जितेन्द्र तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं। को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
खेतड़ी, जिला झुंझुनूं